



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246555
CG-DL-E-15062023-246555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2513]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945

No. 2513]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

सं. 11 / 2023

विशय: आईटीसी एचएस, 2022, अनुसूची-I, आयात नीति के अध्याय 12 के आईटीसी (एचएस) कोड 12030000 के तहत नारियल गिरी की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 2626(अ).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 12 के तहत नारियल गिरी की आयात नीति और नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड एवं विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
1203 00 00 नारियल गिरी	राज्य व्यापार उद्यम	प्रतिबंधित	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.21 के अधीन नाफेड के माध्यम से आयात अनुमत है।	—

इस अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) कोड 12030000 के तहत नारियल गिरी की आयात नीति 'राज्य व्यापार उद्यम' से संशोधित करके 'प्रतिबंधित' की गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/53/162/1109/एम-07/एफ-2/115/पीसी-2 (ख)/पार्ट-III/ई-4037]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2023

No. 11/2023

Subject: Amendment in Import Policy and Policy Condition of Copra under ITC (HS) Code 12030000 of Chapter 12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I, Import Policy

S.O. 2626(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time), read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Central Government hereby amends the import policy and policy condition of Copra under Chapter 12 of Schedule-I(Import Policy) of ITC(HS) 2022 as follows:

ITC(HS) Code & Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
1203 00 00 - Copra	State Trading Enterprise	Restricted	Import allowed through NAFED subject to Para 2.21 of Foreign Trade Policy.	-

Effect of this Notification: The import policy of Copra under ITC (HS) Code 12030000 is revised from 'State Trading Enterprise' to 'Restricted'.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/53/162/1109/AM-07/F-2/115/PC-2(B)/Pt.-III/E-4037]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Additional Secy.